उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
दिनांक – 24 सितम्बर, 2022

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी
रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 839 / 2022

जयलक्ष्मी राणा व अन्य ..... याचिकाकर्तागण
बनाम
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य .....उत्तरदातागण

याचिकाकर्तागण :– द्वारा श्री विनय कुमार, एडवोकेट।

उत्तरदातागण :– द्वारा श्री एन.पी. शाह, श्री वी.एस. रावत, विद्वान स्थायी वकील, उत्तराखण्ड राज्य की ओर से ब्रीफ होल्डर, श्री पंकज पुरोहित और श्री ललित सामंत, चयन निकाय के पक्षधर।

रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 845 /2022

निर्णय

1. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'चयन निकाय' के रूप में संदर्भित) ने अधिसूचना दिनांक 13.10.2020 द्वारा शासकीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने उक्त विज्ञापन का जवाब दिया और बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा में उपस्थित हुए। उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किए जाने पर, याचिकाकर्त्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

2. चूंकि तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न इन याचिकाओं में शामिल हैं, इसलिए इन याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया गया है और सुनवाई और निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि संक्षिप्तता और सुविधा के लिए केवल 2022 की डब्ल्यूपीएसएस संख्या 839 के तथ्यों पर विचार किया जा रहा है।

3. इस रिट याचिका (एस/एस) संख्या 839/2022 याचिकाकर्त्ता ने सहायक अध्यापक, एल.टी.ग्रेड (हिन्दी) पद के लिए आवेदन किया। इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्त्ता ने निम्नलिखित राहत मांगी है :–

(क) प्रश्न संख्या 14, 24, 30, 74, 75 के सही उत्तर के रूप में आयोग द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 6) द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों की घोषणा करते हुए पमरादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें। सहायक शिक्षक, एल.टी. के पद के लिए प्रश्न पुस्तिका श्रृंख्ला–बी के 74 और 75 ग्रेड (हिंदी), किसी भी प्रामाणिक दस्तावेज/पुस्तकों द्वारा समर्थित नहीं होने के कारण गलत है।

(ख) याचिकाकर्ताओं द्वारा बुकलेट सीरीज–बी के प्रश्न संख्या 14, 24, 30, 74 और 75 के लिए दिए गए विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रतिवादी उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को निर्देशित करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। उक्त प्रश्नों के एक सही विकल्प के रूप में और तद्नुसार उक्त प्रश्नों के लिए याचिकाकर्ताओं को अंक प्रदान करें और इसके परिणामस्वरूप सहायक शिक्षक, एल.टी. ग्रेड (हिंदी)।

(ग) प्रतिवादी आयोग को सहायक शिक्षक, एल.टी. के पद की अंतिम

मेरिट सूची में याचिकाकर्ताओं के नाम को शामिल करने के निर्देश देने वाले परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ताओं को आवंटित अंकों के संशोधन के बाद ग्रेड (हिंदी)।

4. इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने संशोधित उत्तर कुंजी में दिए गए प्रश्न पुस्तिका श्रृंख्ला 'बी' के प्रश्न संख्या 14, 24, 30, 74 और 75 के उत्तरों की शुद्धता का मुद्दा उठाया है।

5. याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क देने के लिए कुछ पाठों पर भरोसा किया है कि चयन निकाय द्वारा सही माने गए उत्तर वास्तव में गलत है। चयन निकाय के साथ–साथ दखलंदाजों पर भी भरोसा जताया है, कुछ पुस्तकें अपने इस तर्क के समर्थन में कि संशोधित उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तर सही हैं और प्रामाणिक पाठ द्वारा समर्थित हैं।

6. चयन निकाय के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित ने कहा कि पहली उत्तर कुंजी के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों को विशेषज्ञ समिति को भेजा गया था और विशेषज्ञ समिति ने बहुत विचार विमर्श के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर में सुधार किया। इस प्रकार उनका कहना है कि एक बार जब विशेषज्ञ समिति आपत्तियों के आधार पर निर्णय ले लेती है तो विशेषज्ञ समिति द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।

7. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक विशेषज्ञ की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता और यह तय नहीं कर सकता कि बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर में विषय विशेषज्ञों द्वारा 'सही' माना गया उत्तर वास्तव में है या नहीं, सही है या नहीं। दूसरे शब्दों में यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्णय नहीं दे सकता है।

8. हालांकि, रिट याचिका के पैरा 36 (डब्ल्यूपीएसएस संख्या 839/2022) में याचिकाकर्त्ताओं ने एक अलग मुद्दा उठाया है। उनके अनुसार, किसी विशेष शब्दकोश में दिए गए शब्द के अर्थ को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, वह भी तब जब प्रश्न मनोविज्ञान/मानव विज्ञान के क्षेत्र से हो। याचिका को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है–

> ''36. आयोग द्वारा दिया गया विकल्प बी 'वेबस्टर डिक्श्नरी' बुकलेट सीरीज बी के प्रश्न संख्या 30 के लिए सही उत्तर कुंजी है, इस कारण से गलत है कि विकल्प बी को छोड़कर उक्त प्रश्न में अन्य सभी विकल्प के नाम हैं। जिन व्यक्तियों ने परिभाषा दी है, जबकि विकल्प बी केवल एक शब्दकोश है, इसके अलावा, स्वयं प्रश्न दिखाता है कि प्रत्याशी को विकल्प देना है कि किसका विकास है।'' की परिभाषा दी।

9. रिट याचिका (डब्ल्यूपीएसएस संख्या 845/2022) के पैरा 34 में प्रश्न पुस्तिका श्रृंख्ला की सीरीज ए के प्रश्न संख्या 15 की शुद्धता के संबंध में इसी तरह का मुद्दा उठाया गया है।

> ''34. आयोग द्वारा दिया गया विकल्प बी 'वेबस्टर डिक्श्नरी' बुकलेट सीरीज ए के प्रश्न संख्या 15 के लिए सही उत्तर कुंजी है, इस कारण से गलत है कि विकल्प बी को छोड़कर उक्त प्रश्न में अन्य सभी विकल्प के नाम हैं। जिन व्यक्तियों ने परिभाषा दी है, जबकि विकल्प ब केवल एक शब्दकोष है, साथ ही प्रश्न से ही पता चलता है कि उम्मीदवार को यह विकल्प देना है कि विकास की परिभाषा किसने दी है।''

10. दोनों रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ताओं ने एक ही प्रश्न के संबंध में मुद्दा उठाया है, जिसे प्रश्न पुस्तिका श्रृंख्ला–बी में प्रश्न संख्या 30 और प्रश्न पुस्तिका श्रृंख्ला–ए में प्रश्न संख्या 15 के रूप में क्रमांकित किया गया है। उक्त प्रश्न नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :–

> ''30. किसके अनुसार, परिपक्वता के लिए विकास उन परिवर्तनों की श्रृंख है जो एक जीव एक भ्रूणीय अवस्था से गुजरते हुए गुजरता है?
> ए. हरलॉक
> बी. वेबस्टर डिक्शनरी
> सी. एंडरसन
> डी. ऑलपोर्ट।''

11. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रश्न संख्या 30 बुकलेट सीरीज–बी में निम्नलिखित कथन है और कोई भी उम्मीदवार यह उम्मीन नहीं कर सकता है कि एक शब्द का अर्थ, जैसा कि एक शब्दकोश में दिया गया है, को भी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में पेश किया जा सकता है।

''विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जो भ्रूण अवस्था से परिपक्वता तक एक जीव एक से गुजरने में गुजरता है।''

12. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि पूछा गया प्रश्न यह था कि ऐसा बयान किसने दिया। उनका तर्क है कि इस तरह का बयान केवल संबंधित शाखा के विशेषज्ञ द्वारा ही दिया जा सकता है, हालांकि चयनकर्ता निकाय ने विकल्प बी को उक्त प्रश्न का सही उत्तर माना है। इस प्रकार, उनका तर्क है कि इस तरह के बयान देने के लिए एक शब्दकोश को एक विशेषज्ञ के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसा कि प्रश्न संख्या 30 में निहित है।

13. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक शब्दकोश किसी शब्द को अर्थ दे सकता है या यह विज्ञान या कला के एक शबद को परिभाषित कर सकता है, हालांकि, एक शब्दकोश किसी विशेष विषय पर एक विशेषज्ञ की तरह राय व्यक्त नहीं कर सकता है। उनका यह भी तर्क है कि शब्दकोश में दिए गए किसी शब्द के अर्थ को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि प्रश्न संख्या 30 का निर्माण अपने आप में बुरा है, जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

14. श्री पंकज पुरोहित, चयन निकाय के विद्वान अधिवक्ता हालांकि डॉ0 अज्ञजीत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक ''स्टडीइंग ह्यूमन साइकोलॉजी'' पर निभ्रर थे। उक्त पुस्तक में विकास की अवधारणा पर चर्चा करते हुए विभिन्न लेखकों द्वारा दी गई ''विकास'' की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। एक स्थान पर उन्होंने वेबस्टर डिक्शनरी में दी गई 'विकास' की परिभाषा का भी उल्लेख किया है। श्री पंकज पुरोहित का तर्क है कि प्रश्न संख्या 30 डॉ0 अज्ञजीत सिंह की पुस्तक पर आधारित है। इस प्रकार वह उपरोक्त प्रश्न के निर्माण और उत्तर कुंजी में उक्त प्रश्न के उत्तर का समर्थन करता है, यह कहते हुए कि उक्त पुस्तक के लेखक ने भी वेबस्टर डिक्शनरी पर भरोसा किया है।

15. चयनकर्ता निकाय की ओर से उठाए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 30 एक कथन पर आधारित है। इस तरह का बयान केवल संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा ही दिया जा सकता है और किसी भी शब्दकोश को मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता है। एक शब्दकोश एक शब्द को परिभाषित कर सकता है ताकि पाठक को इसका अर्थ स्पष्ट हो सके। सार्वजनिक रोजगार के चयन में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार से विभिन्न शब्दकोशों में दिए गए

विभिन्न शब्दों की परिभाषा को याद रखने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

16. अन्यथा भी, एक अंग्रेजी शब्दकोश में दी गई अभिव्यक्ति की परिभाषा केवल अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न के संबंध में प्रासंगिक हो सकती है, जहां किसी विशेष अभिव्यक्ति की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं और उम्मीदवारों को उस एक का चयन करना आवश्यक है, जो सबसे निकटतम है। उस अभिव्यक्ति की परिभाषा। चयन निकाय का मामला यह भी नहीं है कि चयन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को किसी विशेष शब्दकोश को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया था। अलग–अलग शब्दकोश एक ही अभिव्यक्ति को अलग–अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। चयन निकाय द्वारा कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि एक शब्दकोश को अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित शब्दकोशों पर वरीयता क्यों दी गई।

17. यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क में पदार्थ पाता है कि उपरोक्त प्रश्न के समर्थन में चयनकर्ता निकाय द्वारा जिस पुस्तक पर भरोसा किया गया है, उसे इस विषय पर अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। केवल इसलिए कि उक्त पुस्तक के लेखक ने विकास की परिभाषा का उल्लेख किया है, जैसा कि वेबस्टर डिक्शनरी में दिया गया है, प्रश्न संख्या 30 बुकलेट सीरीज–बी में तैयार करने के लिए उक्त परिभाषा लेने के लिए चयन निकाय को न्यायोचित नहीं ठहराएगा।

18. इस मामले को ध्यान में रखे हुए, दोनों रिट याचिकाओं को प्रश्न पुस्तिका श्रृंख्ला–बी के प्रश्न संख्या 30 (जिसे बुकलेट श्रृंख्ला–ए में प्रश्न संख्या 15 के रूप में क्रमांकित किया गया है) को संदर्भित करने के लिए चयन निकाय को निर्देश देकर निपटाया जाता है। संबंधित शाखा/विषय में राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सेवारत कम से कम तीन शिक्षाविदों वाली विशेषज्ञ समिति। प्रतिवादी नं0 05 इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर ऐसी समिति का गठन करेंगे। समिति पूर्वोक्त प्रश्न के निर्धारण और उक्त प्रश्न के उत्तर की भी जांच करेगी, जैसा कि संशोधित उत्तर कुंजी में दिया गया है और अपनी रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 05 को प्रस्तुत करेगी। ऐसी समिति के गठन के तीन सप्ताह के भीतर समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी संख्या 05 ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करेगा।

(मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति)

निर्णय का हिन्दी अनुवाद द्वारा

सयन सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश, रामनगर।